Date
9/05/2020

Subject - Contemporary India and Education
Topic - (Right to Education)

B.Ed.
Ist Year

शिक्षा अधिकार नियम

शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भारत के संविधान के अनुच्छेद -45 में यह घोषणा की गई थी कि-
"राज्य संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की कालावधि के अन्दर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबन्ध करने का प्रयास करेगा।
आगे चलकर 2009 में बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया इसे संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में लागू कर दिया गया इसके मुख्य तत्व निम्न प्रकार हैं।

(1) **संक्षिप्त नाम →**
इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है।

(2) **निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा बालक का अधिकार →**

आयु वर्ग के प्रत्येक बालक को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

Scanned with CamScanner

3. प्रवेश के लिए आयु का सबूत →✳←

जन्म प्रमाण - पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

4. स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य →✳←

स्थानीय प्राधिकारियों उपर्युक्त धारा 8 में वर्णित राज्य सरकार के समस्त कर्तव्यों के साथ 2 अपने क्षेत्र के बालकों का अभिलेख रखेगी।

5. माता पिता व संरक्षक का कर्तव्य →✳←

प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा किया वह 6-14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती करवाए

6. बालको की शारीरिक दण्ड व मानसिक उत्पीडन का प्रतिषे

किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाये

विद्यालय विकास योजना →✳←

धारा 21 में वर्णित विद्यालय प्रबन्ध समिति स्कूल विकास की योजना बनाने और उसकी संस्तुति करने का कार्य करेगी।

Topic

Date

8. **अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति** → केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मान या मानक को अनुसूची में परिवर्तन या उसका लोप करके संशोधन कर सकेगी।

9. **विद्यालय प्रबन्ध समिति** → अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक स्कूल प्रबन्ध समिति का गठन करेंगे जिसमें जन प्रतिनिधि अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे।

10. **शिकायतों को दूर करना** → उपर्युक्त धारा 31 में वर्णित बाल संरक्षक आयोग निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे।

11. **छात्र - शिक्षक अनुपात** → इस अधिनियम के लागू होने के 6 - महीने बाद राज्य सरकार व स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक - छात्र अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1:40 से अधिक न हो।

Continue ---

Nidhi Tyagi

9/5/2020

Scanned with CamScanner